न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलाण्ट

बनाम

विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री चिम्मन जाति राजपूत निवासी मोरडा थाना बालघाट जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–18.12.2019

यह अपील कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश दिनांक 13.03.2015 के विरुद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के तहत प्रस्तुत अपील के निर्णय दिनांक 01.05.2019 से रिमाण्ड होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं पंचायत चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तथा भयमुक्त संपन्न करवाने हेतु आदेश क्रमांक–न्याय/9356–9395 दिनांक 29.12.2004 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिनांक 03.01.2015 तक शस्त्रों को थाने में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया था जिसका स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। पुनः दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा करवाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। इसके उपरांत भी श्री राजपूत का शस्त्र थाने में जमा नहीं होने की रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 13.03.2015 द्वारा श्री राजपूत का शस्त्र प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था जिसके विरुद्ध अपील पेश की गई थी।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर श्री राजपूत की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 13.03.2015 विधिक कार्यवाही कर जारी किया गया है। पंचायत आम चुनाव 2015 पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं पंचायत चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तथा भयमुक्त संपन्न करवाने हेतु आदेश क्रमांक–न्याय/9356–9395 दिनांक 29.12.2004 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिनांक 03.01.2015 तक शस्त्रों को थाने में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया था जिसका स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। पुनः दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा करवाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्तिगत तामील करवाया जाना अथवा व्यक्तिगत रूप से सुना जाना संभव नहीं था। इसके उपरांत श्री राजपूत का शस्त्र थाने में जमा नहीं होने की रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 13.03.2015 द्वारा श्री राजपूत का शस्त्र प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने का कथन किया है।

श्री राजपूत के एडवोकेट का बहस में कथन है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति की जानकारी उन्हें नहीं हो पाने के कारण वे समय पर शस्त्र जमा नहीं करवा पाया। वे सैनिक के रूप में तत्कालीन समय में जम्मू–कश्मीर में तैनात थे तथा

उनका शस्त्र आर्मी के मालखाने में जमा था। मैंने दिनांक 03.12.2017 को शस्त्र को थाने में जमा करवा दिया है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं पंचायत चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तथा भयमुक्त संपन्न करवाने हेतु आदेश क्रमांक–न्याय / 9356–9395 दिनांक 29.12.2004 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिनांक 03.01.2015 तक शस्त्रों को थाने में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया था जिसका स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। पुनः दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा करवाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। श्री राजपूत इस तथ्य को साबित करने में विफल रहे हैं कि उनका शस्त्र तत्कालीन समय में आर्मी के शस्त्रागार में जमा था। श्री राजपूत द्वारा अपने शस्त्र को अनुज्ञापत्र निलंबित करने से लगभग 2 वर्ष 10 माह पश्चात् संबंधित थाने में जमा करवाया गया है जिसकी रसीद भी श्री राजपूत द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थित में हम श्री राजपूत का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः इस कार्यालय का आलोच्य आदेश दिनांक 13.03.2015 श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री चिम्मन जाति राजपूत निवासी मोरडा थाना बालघाट जिला करौली का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:10:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: